कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029

क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 1881 पन्ना,दिनांक 14-10-16

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर (म0प्र0)

विषय :- **पन्ना जिले के अन्तर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।**

संदर्भ :-
1. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पृ0क्र0 / 817 दिनांक 13.04.2016
2. आपका पृ0क्र0 / मा0चि0 / 1296 छतरपुर दिनांक 18.04.2016
3. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पृ0क्र0 / 1581 दिनांक 21.07.2016

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव में आवश्यक पूर्ति हेतु निर्देश प्राप्त हुये थे। जिसके पालन स्वरूप प्रस्ताव में ऑनलाईन पूर्ति की जाकर हार्ड कापी में पूर्ति कर प्रस्ताव संलग्न अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

क्र.	पूर्ति का विषय	की गई पूर्ति का विवरण
1	**बिन्दु क्र0–1** प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्र0–बी–2.4 में आवेदित वनभूमि का Component Wise breakup नही दिया गया है, जिसकी पूर्ति ऑनलाईन / ऑफलाईन की जावे।	आवेदक संस्थान द्वारा वनभूमि का Component Wise breakup प्रेषित किया है। जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ क्र0–107 में संलग्न है।
2	**बिन्दु क्र0–2** आवेदित वनभूमि की पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से दूरी 10 कि0मी0, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के केन घड़ियाल अभ्यारण से 4.50 कि0मी0 एवं गंगऊ अभ्यारण से 8.00 कि0मी0 बताई गई है। चूंकि परियोजना स्थल से संरक्षित क्षेत्रों की दूरी 10 कि0मी0 से कम होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता होगी। अतः आवेदक विभाग से उक्त के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 का अभिमत प्राप्त करने हेतु लेख करें।	आवेदक संस्थान को कार्यालयीन पत्र क्र0 / 1678 दिनांक 25.04.2016 से लेख करते हुये पुनः कार्यालयीन पत्र क्र0 / 3269 दिनांक 29.07.2016 को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया गया। जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ क्र0–114,115,116 पर संलग्न है।

Dasctop:/Latter 2016

3	**बिन्दु क्र0–4** में दर्शित वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0/1513/08 दिनांक 09.07.2015 में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तथा की जाने वाली आगामी कार्यवाही के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत, अभिलेख सहित प्रेषित किया जावे।	आवेदक संस्थान के विरूद्ध दर्ज वन अपराध प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र0/993 दिनांक 28.05.2016 के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किये गये सहमति पत्र अनुसार वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 79 के तहत प्रतिकार राशि रूपये 10,000 जमा करने हेतु पत्र क्र0/3253 दिनांक 29.07.2016 एवं पत्र क्र0/3550 दिनांक 26.08.2016 के माध्यम से लेख किया गया था। किन्तु आवेदक संस्थान द्वारा भूमि को मूल स्वरूप में आज दिनांक तक नही लाया गया न ही प्रतिकार राशि जमा की गई है। जिससे वन अपराध प्रकरण का निराकरण नही किया जा सका है। जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ क्र0–117 से 124 पर संलग्न है।

संलग्न :– **प्रस्ताव 04 प्रतियों में।**

(बासु कन्नौजिया)
वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

पृ0क्र0/मा0चि0/2016/ 1882 **पन्ना,दिनांक** 14/10/2016

प्रतिलिपि :– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)